फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

चेतराम बनाम दुर्गालाल वगै0

मु0नं0— 13/2023

किस्म मुकदमा—दावा स्थाई निषे0

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/23	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1164/195 वाके ग्राम कालवान तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जो कि वादी की खातेदारी की भूमि है। वादी का एक छोटा परिवार है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का एक नाजायज गिरोह बना हुआ है और वे वादी के अकेले व असहाय व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के संबंध में स्थायी निषे0 वादी के हक में जारी की जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश कर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया है न ही विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त के संबंध में कोई साक्ष्य पेश किया है। इसलिए दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः दावा वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	